राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी पीठासीन अधिकारी
लोक अदालत/कैम्प – नंगली सलेदीसिंह

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 186/2020

1. चन्दगी पुत्र श्योनारायण
2. डूगर सिंह पुत्र हंसराज
3. दीपचन्द पुत्र गुल्लाराम
4. बीरबल पुत्र श्योनारायण
5. लक्ष्मण पुत्र गुल्लाराम
6. सतपाल पुत्र हंसराज
7. सुरेश कुमार पुत्र गुल्लाराम
8. हेमकरण पुत्र हंसराज
9. उषा पुत्री सुभाष
10. बिमला पुत्री हंसराज
11. भगवानी पुत्री हंसराज
12. बिमला पुत्री हंसराज
13. भगवानी पुत्री हंसराज
14. सुधा पुत्री सुभाष
15. सुमन कुमारी पुत्री सुभाष

जाति जाट निवासी ढाणी बोराणा की तन् चारावास तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0

.......प्रार्थीगण

ब–ना–म

1. केशी पत्नी हरीराम
2. छीनाराम पुत्र हरीराम
3. जगदीश पुत्र हरीराम
4. दयाराम पुत्र गिरधारी
5. दलीप पुत्र डेडाराम
6. पितराम पुत्र गिरधारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.07.08 11:38:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

Scanned with CamScanner

7. बिमला पुत्री गिरधारी
8. मेहरचन्द पुत्र हरिराम
9. महासिंह पुत्र ओमप्रकाश
10. विक्रम पुत्र गिरधारी
11. वीरसिंह पुत्र डेडाराम
12. श्योबाई पत्नी गिरधारी
13. सुमित्रा पुत्री गिरधारी
14. महेन्द्र पुत्र अर्जुन
15. शिशराम पुत्र अर्जुन जाति जाट निवासी ढाणी बोराण की तन् चारावास तहसील खेतड़ी
16. धर्मादेवी पत्नी विधाधर
17. विमला देवी पत्नी सुरेश कुमार
18. गोदाराम पुत्र झाबर जाति जाट निवासी सरदारपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं राज0
19. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा बड़ाऊ जरिये शाखा प्रबंधक।
20. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा नंगलीसलेदीसिंह जरिये शाखा प्रबंधक।
21. बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा खेतड़ी जरिये शाखा प्रबंधक।
22. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी।

......अप्रार्थीगण

<u>आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 251क,</u>

<u>राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत रास्ता चाहने</u>

<u>उपस्थित अधिवक्ता</u> :–

1. श्री गिरधारी लाल सैनी – प्रार्थीगण की ओर से
2. श्री प्रताप सिंह तंवर – अप्रार्थी सं. 1 से 3, 5 व 7 से 13 की ओर से

:: निर्णय :: **दिनांक 29–10–2021**

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण की ओर से इस आशय का पेश किया गया है कि वाके ग्राम चरणसिंह नगर पटवार हल्का नंगली सलेदी[illegible]त जमाबंदी संवत् 2075 लगायत 2078 के खाता सं. 70 के ख.नं. 68 रकबा 0.11 है., [illegible] 68 रकबा 0.01 है., ख.नं. 70 रकबा 7.77 है., ख.नं. 71 रकबा 0.04 है., ख.नं. 72 रकबा 0.10 है., ख.नं. 73 रकबा 2.88

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.07.08 11:38:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनूं)

Scanned with CamScanner

खनं. 74 रकबा 1.46 है. कुल किता 7 कुल रकबा 12.37 है. भूमि के प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 18 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है। ग्राम चरणसिंह स्थित जमाबंदी संवत् 2075 लगायत 2078 के खाता सं. 94 में दर्ज ख.नं. 61 रकबा 1.05 है. भूमि के अप्रार्थी सं. 1 लगायत 13 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा खाता सं. 90 में दर्ज ख.नं. 67 रकबा 0.63 है. भूमि के अप्रार्थी सं. 14 लगायत 15 संयुक्त खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है तथा खाता सं. 124 में दर्ज ख.नं. 814/67 रकबा 0.60 है. भूमि के अप्रार्थी सं. 16 लगायत 17 संयुक्त खातेदार दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण व अप्रार्थी सं. 18 की उपरोक्त वर्णित भूमि में आने जाने व साधन लाने ले जाने का एक मात्र रास्ता ग्राम चारावास से चरणसिंह नगर जाने वाली डामर सड़क से दक्षिण दिशा में जोड़ी में से होता हुआ अप्रार्थी सं. 1 लगायत 13 की खातेदारी भूमि ख.नं. 61 की पश्चिमी सीमा के सहारे-सहारे तथा अप्रार्थी सं. 14 व 15 की खातेदारी भूमि ख.नं. 67 की पश्चिमी सीमा के सहारे एवं अप्रार्थी सं. 16 व 17 की खातेदारी ख.नं. 814/67 की पश्चिमी सीमा के सहारे होता हुआ 12 फीट चौड़ाई का जाता है जिसे नजरी नक्शे में लाल सुर्ख स्याही से दिखाया गया है। प्रार्थीगण अपनी भूमि के समस्त कृषि कार्य इसी रास्ते से करते हैं। प्रार्थीगण ने राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 251(क) के अनुसार प्रतिकर देने के लिये एवं भूमि के बदले भूमि भी देने का निवेदन किया तो भी उक्त अप्रार्थीगण इंकार हो गये। जबकि उक्त रास्ता प्रार्थीगण के कदीम से ही विद्यमान रहा है और यहीं से ही उपयुक्त रास्ता संभव है। इयलिये यह आवेदन पत्र पेश करना आवश्यक हुआ और प्रार्थीगण इस प्रार्थना पत्र के जरिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251(क) की पालना करने के लिए तैयार व तत्पर है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीगणी की वाके ग्राम चरणसिंह नगर स्थित जमाबंदी संवत् 2075 लगायत 2078 के खाता सं. 70 के ख.नं. 68 रकबा 0.11 है., ख.नं. 69 रकबा 0.01 है., ख.नं. 70 रकबा 7.77 है., ख.नं. 71 रकबा 0.04 है., ख.नं. 72 रकबा 0.10 है., ख.नं. 73 रकबा 2.88 है., ख.नं. 74 रकबा 1.46 है. कुल किता 7 कुल रकबा 12.37 है. में आने जाने के लिये अप्रार्थी सं. 1 लगायत 13 की खातेदारी में दर्ज ख. नं. 61 की पश्चिमी सीमा के सहारे-सहारे तथा अप्रार्थी सं. 14 व 15 की खातेदारी में दर्ज ख.नं. 67 की पश्चिमी सीमा के सहारे एवं अप्रार्थी सं. 16 व 17 की खातेदारी में दर्ज ख.नं. 814/67 की पश्चिमी सीमा के सहारे होता हुआ 12 फीट चौड़ाई में रास्ता दिलवाया जाकर उक्त रास्ते को राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर के तरमीम किया जावे व उक्त रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.07.08 11:38:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खैरथल (अलवर)

Scanned with CamScanner

...नये धारा 251(क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसा राशि निर्धारित कर उसके खातेदारों को दिलाये जाने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3, 5 व 7 लगायत 13 की ओर से इकबाली जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि भूमि ख.नं. 61 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे 12 फुट चौड़ाई में रास्ता कायम कर दिया जावे इसके लिए हम सहमत हैं।

अप्रार्थीगण सं. 6, 14 लगायत 18 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया है कि प्रार्थीगण व प्रार्थी सं. 18 की प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में आने–जाने व साधन लाने व ले जाने के लिए ग्राम चारावास से चरणसिंह नगर जाने वाली डामर सड़क से दक्षिण दिशा में जोड़ी में से होता हुअ अप्रार्थी सं. 1 लगायत 13 की खातेदारी भूमि ख. नं. 61 की पश्चिमी सीमा के सहारे–सहारे तथा अप्रार्थी सं. 14, 15 की खातेदारी भूमि ख.नं. 67 की पश्चिमी सीमा के सहारे एवं अप्रार्थी सं. 16 व 17 की खातेदारी भूमि ख.नं. 814/67 की पश्चिमी सीमा के सहारे होता हुआ कोई रास्ता नहीं है। ढाणी बोराना प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण की संयुक्त खाते की भूमि ख.नं. 64 तक जाने हेतु रास्ता कदीम से बना हुआ है जो कटान में कटा हुआ हे जो मौके पर आज भी खुला है जिसका उपयोग उपभोग हो रहा है। नंगलीसलेदीसिंह की डामर सड़क से 12 फुट चौड़ी ग्रेवल सड़क खसरा नंबर 65 के अन्दर तक बनी हुई है जो मौके पर चालू है तथा उसको आगे ख.नं. 74 तक मुआवजा देने पर अप्रार्थीगण रास्ता देने के लिए तैयार हैं।

अनावेदकगण सं. 19 से 21 सम्यक् तामील के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

तहसीलदार, खेतड़ी से विवादित भूमि के सम्बंध में मौका व राजस्व रिकार्ड की रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार, खेतड़ी ने जरिये पत्र क्रमांकः राजस्व/2020/537 दिनांक 02.03.2021 से निम्नानुसार बिन्दुवार रिपोर्ट प्रस्तुत की है :–

1. प्रस्तावित रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है और यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिये नहीं है।
2. अन्य खातेदार की जोत से होकर निकटतम सार्वजनिक मार्ग के मामले में पहुचने के वैकल्पिक साधन का अभाव सिद्ध होता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.07.08 11:38:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

Scanned with CamScanner

प्रस्तावित रास्ता नजरी नक्शा में दर्शाया गया है। यह मार्ग निकटतम/लघुतम नहीं है। क्योंकि प्रार्थीगण ख.नं. 70, 69, 68, 71, 72, 73, 74 संयुक्त भूमि में मार्ग चाहा है उसमें तितर–बितर रूप से अलग–अलग बने हुये है। इस कारण अलग–अलग निकटतम दूरी तय होती है और इसमें प्रतिवादी का भी हिस्सा है, जब तक उनका विभाजन नहीं होता है, यह तय करना मुश्किल है।

4. प्रस्तावित रास्ते में ख.नं. 61 में 0.0500 है., ख.नं. 67 में 0.0220 है. भूमि तथा ख.नं. 814/67 में 0.0220 है. क्षेत्रफल बनता है। राजस्व ग्रामी चरणसिंह नगर की डी.एल.सी. 700650 प्रति हैक्टेयर है उसके हिसाब से ख.नं. 61 में 0.0500 है. क्षेत्रफल बनता है उसकी कीमत 35033/–रू., ख.नं. 67 में 0.0220 है. क्षेत्रफल प्रस्तावित रास्ता है उसकी कीमत 15415/–रू. बनती है तथा ख.नं. 814/67 में 0.0220 है. क्षेत्रफल बनता है उसकी कीमत 15415/–रू. बनती है। इस प्रकार प्रस्तावित रास्ते की कुल कीमत 65863/–रू. बनती है।

तहसीलदार, खेतड़ी द्वारा प्रस्तुत उक्त रिपोर्ट पर अप्रार्थीगण सं. 6 व 14 से 18 ने आपत्ति जाहिर कर निवेदन किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शे में दर्शित किये गये रास्ते के सम्बंध में पुनः रिपोर्ट मंगवाई जावे। अप्रार्थीगण सं. 6 व 14 से 18 की उक्त आपत्ति को दिनांक 31.08.2021 को अस्वीकार किया गया।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प नंगली सलेदीसिंह में पेश हुई। बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी, भू–अभिलेख निरीक्षक वृत खेतड़ी का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। तहसीलदार, खेतड़ी ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि प्रार्थीगण को अपनी संयुक्त खातेदारी भूमि ख.नं. 70, 69, 68, 71, 72, 73, 74 में पहुंच हेतु रास्ते की आवश्यकता अत्यांतिक है। उक्त खसरा नंबरान में पहुंचने हेतु खसरा नंबर 61, 67, 814/67 में से प्रस्तावित मार्ग निकटतम होगा। प्रस्तावित रास्तें में आनी वाली भूमि का क्षेत्रफल 12 फुट चौड़ाई में 0.0940 है0 बनता है। प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी भूमि ख.नं. 70, 69, 68, 71, 72, 73, 74 में आने–जाने के लिए वैकल्पिक साधन का अभाव है। उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास अपनी खातेदारी में आवागमन के लिए कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। प्रार्थीगण का आवेदन पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 25 … के प्रावधानों की पूर्ति करता

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.07.08 11:38:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थीगण का आवेदन अन्तर्गत धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार, खेतड़ी प्रार्थीगण का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम चरणसिंह नगर तहसील खेतड़ी स्थित भूमि खसरा नंबर 70, 69, 68, 71, 72, 73, 74 में जाने के लिए अनावेदकगण की खातेदारी भूमि खसरा नंबर 61, 67, 814/67 की पश्चिमी दिशा से 12 फुट चौड़ाई में पुख्ता आम रास्ता खसरा नंबर 70 तक कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। चूंकि पक्षकारान प्रतिकार की रकम पर आपस में सहमत नहीं हुए है। अतः उक्त प्रस्तावित रास्ते की वर्तमान DLC की दर से 0.0940 है0 भूमि की कीमत 65863 रू. होती है जिसकी दुगुनी राशि 131726/–रू. अक्षरे एक लाख इक्कतीस हजार सात सौ छब्बीस रूपये आवेदकगण तहसीलदार, खेतड़ी के समक्ष जमा करवायेंगे। तहसीलदार, खेतड़ी खसरा नंबर 61 में से 0.0500 है. जिसकी डीएलसी कीमत 35,033/–रू. बनती है जिसकी दुगुनी राशि रू. 70066/–रू., ख.नं. 67 में से 0.0220 है. जिसकी डीएलसी कीमत रू. 15415/– बनती है जिसकी दुगुनी राशि रू. 30830/– व ख.नं. 814/67 में से 0.0220 है. जिसकी डीएलसी रू.15415/– बनती है जिसकी दुगुनी राशि 30830/–रू प्रतिकार की रकम अनावेदकगण को नियमानुसार अदा करें। तदनुसार भूमि खसरा नंबर 61, 67, 814/67 के रकबे में से रास्ते की भूमि निर्वापित कर रिकार्ड में "रास्ता" के रूप में अभिलिखित करेंगे।

निर्णय आज लोक अदालत कैम्प नंगली सलेदीसिंह में दिनांक 29–10–2021 को मजमे आम में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनूं)

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.07.08 11:38:06 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner